



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर
(सत्कार शाखा)

क्रमांक / क / प्रोटोकाल / 2017
प्रति.

जगदलपुर, दिनांक 27 / 09 / 2017

प्रभारी अधिकारी,
सूचना अधिकार शाखा,
जिला कार्यालय, जगदलपुर।

विषय :- विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) क (ख) में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही बाबत।

संदर्भ :- आपके ज्ञापन क्रमांक 16 / छ.सू.अ. / 2017 जगदलपुर दिनांक 05.09.2017।

-000-

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए। इस न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है -

1- आपराधिक प्रकरण नगर दण्डाधिकारी, जगदलपुर में थाना प्रभारियों द्वारा धारा 107,116 (3), 151 / 107,116 (2), 41(2) / 109, 41(2) / 110 जा.फौ. एवं द.प्र.सं. की धारा-145, 133, 97 / 98 से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।

2- नगर दण्डाधिकारी क्षेत्र के अन्तर्गत रैली, शोभायात्रा, हडताल, धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनी आमसभा के संबंध में अनुमति दी जाती है एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु पत्र जारी किया जाता है।

3- सत्कार शाखा में प्लेन/हेलीकॉप्टर के लैंडिंग एवं टेकऑफ करने की अनुमति दी जाती है साथ ही विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के आगमन पर कानून व्यवस्था हेतु वाहनों का अधिग्रहण कर उपलब्ध कराया जाता है तथा विश्रामगृह एवं विश्राम भवन आरक्षित किया जाता है।

सूचनार्थ प्रेषित।

प्रोटोकाल अधिकारी
जगदलपुर